न्यायालय कलेक्टर, जिला मण्डला (म.प्र.)

प्रकरण कमांक 27 (अ–20/3)2021–22

संभागीय प्रबंधक
म0प्र0रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
जबलपुर (म0प्र0)
द्वारा–वनमण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्य
वनमण्डल मण्डला

आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनावेदक

आदेश
(पारित दिनांक 27.09.2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संभागीय प्रबंधक म0प्र0 रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर के पत्र कमांक 1328/एम.पी.आर.डी.सी./2020 दिनांक 11.01.2020 के द्वारा पदमी–रामनगर–घुघरी–सलवाह मार्ग (0+000 किमी. से 51+342) वर्तमान मुख्य जिला मार्ग के उन्नयन कार्य में लगभग 5.70 हे. ली जा रही वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटन हेतु प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी बिछिया को भेजा गया।

2. अनुविभागीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार से जांच कराकर प्रकरण अनुशंसा सहित प्ररूप दो में प्रेषित किया गया है तथा प्रतिवेदित किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमानुसार समतुल्य राजस्व भूमि वनविभाग को दिलाये जाने का प्रावधान है। इश्तहार का प्रकाशन कराया गया। कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है। हल्का पटवारी से बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1255.64 हे. है। ग्राम के खाते का कुल क्षेत्रफल 606.69 हे. है। ग्राम के गैर खाते का कुल क्षेत्रफल 448.95 हे. है। ग्राम के कुल देल्हा रकबा का 02 प्रतिशत चरनोई भूमि 25.11 हे. होता है। ग्राम के चरनोई भूमि का कुल क्षेत्रफल 411.60 हे. है। शेष चरनोई भूमि 02 प्रतिशत से अधिक है। वन विभाग के अमले के साथ मौका निरीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पदमी–रामनगर–घुघरी–सलवाह मार्ग (0+000 किमी. से 51+342) वर्तमान मुख्य जिला मार्ग के उन्नयन कार्य में लगभग 5.70 हे. भूमि के बदले राजस्व विभाग की समतुल्य भूमि ग्राम भीमा पटवारी हल्का नं. 145 राजस्व निरीक्षक मण्डल सिझौरा स्थित खसरा नं. 121 रकबा 15.31 हे. मद घास (चारागाह) में से रकबा 5.70 हे. भूमि आवंटन के योग्य पायी गई है। 4.66 हे. भूमि वन विभाग को पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। अतः ग्राम भीमा प.ह.नं. 145 रा.नि.मं.सिझौरा में स्थित भूमि खसरा नं. 121 रकबा 15.31 हे. मद चारागाह में से 5.70 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. अनुविभागीय अधिकारी बिछिया से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा विचारोपरांत आवेदक वनविभाग को उक्त भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः विभाग के नाम भूमि का हस्तांतरण उचित है।

4. अतः म0प्र0नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के तहत आवेदित भूमि ग्राम भीमा प.ह.नं. 145 राजस्व निरीक्षक मण्डल सिझौरा तहसील बिछिया खसरा नं. 121 रकबा 15.31 हे. मद चारागाह में से 5.70 हे. को उक्त मद से पृथक करते

Scanned By Scanner Go

हुए मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के नाम हस्तांतरित/अंतरित की जाती है तथा मद परिवर्तन की अपेक्षित अनुमति अनुविभागीय अधिकारी को प्रविष्टियों में संशोधन हेतु प्रदान की जाती है।

(हर्षिका सिंह)
कलेक्टर, मण्डला

पृ.क्रमांक/399/रीडर/ मण्डला दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. सचिव, म0प्र0शासन वन विभाग भोपाल को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ।
4. वनमण्डल अधिकारी पश्चिम सामान्य वन मण्डल मण्डला को सूचनार्थ।
5. संभागीय प्रबंधक म0प्र0रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि0जबलपुर म0प्र0 को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार बिछिया की ओर भेजकर लेख है कि आदेश के पालन में भूमि का विधिवत कब्जा आवेदक विभाग को प्रदान कर कब्जा रसीद एवं संशोधित खसरा बटा नम्बर,नक्शा प्रति संलग्न कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कलेक्टर
मण्डला

Scanned By Scanner Go